

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2023—माघ 14, शक 1944

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती रुचि सगर पत्नी श्री वेदप्रकाश सगर, आयु 34 वर्ष व्यवसाय— सिविल जज वरिष्ठ खंड/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भांडेर निवासी ई—1 न्यायाधीशगण आवासीय परिसर भांडेर जिला दतिया म.प्र. सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा सर्विस दस्तावेजों में मेरा सरनेम 'सगर' लिखा है, जबकि मेरे अन्य सभी शैक्षणिक एवं शासकीय दस्तावेजों जैसे पेनकार्ड, आधारकार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि में विवाह पूर्व का सरनेम 'गोलस' लेख है और मुझे आम रूप से गोलस सरनेम से जाना जाता है। अब मैं, अपने संपूर्ण सर्विस दस्तावेजों में अपना नाम संशोधित कर श्रीमती रुचि गोलस अंकित करवा रही हूँ। अब मुझे मेरे विवाह पूर्व सरनेम के साथ श्रीमती रुचि गोलस के नाम से लिखा, पढ़ा व पुकारा एवं जाना जावे।

पुराना नाम

(श्रीमती रुचि सगर)

नया नाम

(रुचि गोलस)

(G-106)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रेया जयेश लोंधे पुत्री श्री जयेश वसंत लोंधे सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे विद्यालयीन रिकार्ड में मेरा नाम एल. जे. श्रेया एवं मेरी माता का नाम एल. जे. श्रुति एवं मेरे पिता का नाम एल.व्ही.0. जयेश अंकित है, जबकि मेरा सही नाम श्रेया जयेश लोंधे (SHREYA JAYESH LONDHE) एवं मेरी माता का सही नाम श्रुति जयेश लोंधे (SHRUTI JAYESH LONDHE) एवं पिता का सही नाम जयेश वसंत लोंधे (JAYESH VASANT LONDHE) है, जो मेरे एवं मेरी माता—पिता के सभी दस्तावेजों में दर्ज है, मेरे विद्यालयीन रिकार्ड में मेरा नाम एल.जे.श्रेया मेरी माता का नाम एल.जे. श्रुति एवं मेरे पिता का नाम एल. व्ही. जयेश त्रुटिपूर्ण दर्ज हो गया है जिसकी

जगह मेरा नाम श्रेया जयेश लोंधे एवं मेरी माता का नाम श्रुति जयेश लोंधे एवं पिता का नाम जयेश वसंत लोंधे पढा एवं समझा जाये और दर्ज किया जाये, सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

मेरा एवं माता पिता का गलत नाम :
(एल.जे. श्रेया एवं एल.जे. श्रुति, एल.व्ही.जयेश)

मेरा एवं माता पिता का सही नाम :
(श्रेया जयेश लोंधे एवं श्रुति जयेश वसंत लोंधे जयेश)
निवासी:- मकान नंबर-ए-13, शाहपुरा, पोस्ट त्रिलंगा, तहसील
हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.)

(G-107)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना उपनाम परिवर्तन कर रोहित जायसवाल (Rohit Jaiswal) के स्थान पर रोहित चौकसे (Rohit Choukse) कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम रोहित चौकसे (Rohit Choukse) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा, सो विदित होवे।

पुराना नाम :	नया नाम
(रोहित जायसवाल)	(रोहित चौकसे)
	129/3, नंदा नगर, इन्दौर (म.प्र.)

(G-108)

CHANGE OF NAME

I, BADER QADIR S/o MAJEED QADIR, resident ward no. 6 near old S.P. Office Raisen, District. I hereby inform to all ordinary that spelling of my surname, my father's and mother's surname in my 10th and 12th CBSE Board Mark-Sheet is Wrong. Instead of BADER QADIR it's written BADER QADIR and for my father instead of MAJEED QADIR its written MAJEED QUADIR and for my mother instead of SAFIYA KHAN it's written SAFIYA QUADIR. I hereby request to do the needful correction in my Marksheets.

OLD NAME	NEW NAME
(BADER QUADIR)	(BADER QADIR)
(MAJEED QUADIR)	MAJEED QADIR
SAFIYA QUADIR	SAFIYA KHAN
	ADDRESS- WARD NO-6 NEAR OLD S.P. OFFICE RAISEN (M.P.)

(G-109)

CHANGE OF NAME

I, am HARSHITA KUSHWAHA D/o GANESH RAM KUSHWAHA age 19 yrs R/o of ward no 04 Ram Ayodhya Sanchi Road Raisen (M.P.) Dist. & Tehsil Raisen. I inform the gen publ. that in my 10th MARKSHEET (ROLL NO. 1272383, yr. 2019, my Mother's Name is written 'KAUSHALYA DEVI KUSHWAHA' and 'a' after 'h' in KAUSHALYA spelling is wrong as in My Mother's other papers 'KAUSHLYA KUSHWHA' is written. Which is true & Correct therefore by Removing 'a' and DEVI My Mother's Name Should be changed to KAUSHLYA KUSHWAHA in my Marksheets.

OLD NAME	NEW NAME
(KAUSHALYA DEVI KUSHWAHA)	(KAUSHLYA KUSHWAHA)
	ADDRESS- RAM AYODHYA
	WARD NO. 04, SANCHI ROAD,
	RAISEN (M.P.)

(G-110)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे समस्त शैक्षणिक आदि दस्तावेजों में मेरा नाम सोनम राठौर पुत्री स्व० श्री नारायण राठौर है। मेरा विवाह नितिन अग्रवाल पुत्र श्री अरविन्द अग्रवाल के साथ दिनांक 06.02.2018 को हो जाने के कारण अब मैं श्रीमती सोनम अग्रवाल पत्नी श्री नितिन अग्रवाल निवासी बी-५ गोविन्दपुरी थाठीपुर ग्वालियर म.प्र. के नाम से जानी पहचानी व पुकारी जाती हूँ भविष्य में मुझे श्रीमती सोनम अग्रवाल पत्नी श्री नितिन अग्रवाल निवासी बी-५ गोविन्दपुरी थाठीपुर ग्वालियर म.प्र. के नाम से ही जाना पहचाना व पुकारा जायेगा।

पुराना नाम

(सोनम राठौर)

पुत्री स्व० श्री नारायण राठौर

नया नाम

(श्रीमती सोनम अग्रवाल)

पत्नी नितिन अग्रवाल

निवासी बी-५ गोविन्दपुरी थाठीपुर ग्वालियर (म.प्र.)

(G-111)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम लीला यादव पत्नि श्री प्रदीप कुमार यादव निवासी म.नं. 290, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल, म.प्र. है मेरे आधार कार्ड व समग्र आईडी में मेरा नाम पूनम यादव अर्धागिनी प्रदीप कुमार यादव अंकित है परंतु मेरे अन्य दस्तावेज जैसे वोटर आईडी में लीला यादव पत्नि प्रदीप कुमार यादव, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, हाई सेकेण्डरी सर्टिफिकेट, में लीला शिल्पी पुत्री प्रेम नारायण शिल्पी अंकित है। अतः मैं अपने उपरोक्त समस्त दस्तावेजों में अपने पूर्व नाम पूनम यादव एवं लीला शिल्पी के स्थान पर लीला यादव से जानी पहचानी जाऊंगी तथा इसी नाम से हस्ताक्षर करूंगी मुझे आगे इसी नाम से जाना जावे व लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(पूनम यादव पत्नि श्री प्रदीप कुमार यादव)

निवासी ४/३७, छत्रसाल नगर, फेस-२, जे.के. रोड,

भारत नगर योगा सेंटर, भोपाल, म.प्र.

नया नाम

(लीला यादव पत्नि श्री प्रदीप कुमार यादव)

निवासी म.नं. 290, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल, म.प्र.

(G-112)

CHANGE OF NAME

I, CHETAN PATIL S/o BHALCHANDRA NIKAM R/o 159 WARD 11 VILLAGE SENDHWAL TEHSIL KHALWA DISTT. KHANDWAMP 450117, DECLARE THAT PREVIOUSLY I WAS KNOWN AS NIKAM CHETAN BHALCHANDRA S/o BHALCHANDRA NIKAM. NOW I HAVE CHANGED MY NAME AS CHETAN PATIL S/o BHALCHANDRA NIKAM. KINDLY READ MY NAME CHETAN PATIL S/o BHALCHANDRA NIKAM INSTEAD OF NIKAM CHETAN BHALCHANDRA S/o BHALCHANDRA NIKAM IN MY ALL DOCUMENTS.

OLD NAME

(NIKAM CHETAN BHALCHANDRA)
S/o BHALCHANDRA NIKAM

NEW NAME

(CHETAN PATIL)
S/o BHALCHANDRA NIKAM

(G-113)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ अली हुसैन जावरावाला पिता अब्बास भाई जावरावाला, निवासी 72, चांदनी चौक, रतलाम (म.प्र.) के पासपोर्ट नम्बर (Z2403474) एवं आधार में त्रुटिवश मेरा नाम अली हुसैन अब्बास भाई जावरावाला (ALI HUSAIN ABBAS BHAI JAORAWALA) दर्ज है जो कि गलत है। जबकि पेनकार्ड में मेरा नाम अलीहुसैन जावरावाला पिता अब्बासभाई जावरावाला (ALI HUSAIN JAORAWALA S/o ABBAS BHAI JAORAWALA) दर्ज है। मुझे मेरे इसी नाम से जाना, पहचाना व

पुकारा जाता है, अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अली हुसैन जावरावाला पिता अब्बासभाई जावरावाला के नाम से ही जाना, पहचाना जाए, सो सूचित हो।

अली हुसैन जावरावाला पिता अब्बासभाई जावरावाला
72, चांदनी चौक, रतलाम (म.प्र.)

(G-114)

नाम परिवर्तन

मैं, अरुण अभाणी आत्माज श्री प्रकाश चन्द्र अभाणी आयु वयस्क निवासी म.नं. 41 महिन्द्र टाउनशिप दृ 1, बरपड़ियां कलां, भोपाल सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पूर्व दस्तावेजों में मेरा नाम अरुण जैन अभाणी एवं मेरी पत्नि का नाम नीतू जैन अभाणी दर्ज है जो कि दोनों नाम हमारे स्वयं के ही हैं। यह कि मैं, अब अरुण अभाणी एवं पत्नि नीतू अभाणी के नाम से जाने जाते हैं। अतः भविष्य में मेरी पत्नी को अरुण अभाणी एवं नीतू अभाणी के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(अरुण जैन अभाणी)
नीतू जैन अभाणी

नया नाम :

(अरुण जैन अभाणी)
नीतू अभाणी

(G-115)

CHANGE OF NAME

I, NAVIN KUMAR VERMA ANNOUNCE THAT I HAVE CHANGED MY NAME NAVIN KUMAR VERMA TO NAVEEN VERMA. IN FUTURE, I WILL BE KNOWN AS NAVEEN VERMA S/O SHRI GOVIND VERMA, R/O HOUSE NO. 01, CIVIL LINES, OPP-KILOL PARK, MAIN ROAD, SHYAMLA HILLS, BHOPAL (M.P.)

OLD NAME

(NAVIN KUMAR VERMA)

NEW NAME

(NAVEEN VERMA)

(G-116)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मृणाल कान्ति पाल (MRINAL KANTI PAUL) पिता नित्य गोपाल पाल (NITYA GOPAL PAUL) है, उपरोक्त नाम का सरनेम जो कि हिन्दी में 'पाल' तथा अंग्रेजी में 'PAUL' लिखा जाता है, जिसमें कि अंग्रेजी अक्षर में 'PAUL' के स्थान पर 'PAL' (पाल) लिखा/पढ़ा/दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(मृणाल कान्ति पाल)
(MRINAL KANTI PAUL)
पिता श्री नित्य गोपाल पाल

नया नाम

(मृणाल कान्ति पाल)
(MRINAL KANTI PAL)
पिता श्री नित्य गोपाल पाल
पता :— म.न. 2889 / 11, साकेत नगर, रांझी, जबलपुर म.प्र.

(G-117)

जाहिर सूचना

मैं, रेनू वर्मा घोषणा करती हूँ कि विवाह पश्चात् मेरा उपनाम गुलाटी हो गया था लेकिन तलाक हो जाने के कारण अपने पति का उपनाम अपने नाम से विलोपित कर रही हूँ अतः मुझे पुनः रेनू वर्मा के रूप में जाना जाये।

पुराना नाम:
(रेनू गुलाटी)

नया नाम:
(रेनू वर्मा)
सरला पेराडाईज, अवधपुरी भोपाल.

(G-118)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम “बानो बी” दर्ज है जो कि मेरा घरेलु नाम है। मेरा वास्तविक व सही नाम “ताज बानो” है व मैं, इसी नाम से जानी एवं संबोधित की जाती हूँ अतः अब मुझे मेरे सही नाम “ताज बानो” के नाम से ही जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम:
(बानो बी)

नया नाम:
(ताज बानो पति अब्दुल गफूर)
पता— 282, डी.आर. पी लाईन, सेंट्रल जेल के सामने, इन्दौर म.प्र.

(G-119)

नाम परिवर्तन

मैं, मीनल सराफ (Meenal Saraf) पत्नी श्री दीप जैन सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम मोनिका जैन (Monica Jain) था जो मेरे यूटी.आई खाते में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं मीनल सराफ (Meenal Saraf) के नाम से जानी, पहचानी व पुकारी जाती हूँ एवं भविष्य भी मैं, मीनल सराफ (Meenal Saraf) के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊगी। एवं हस्ताक्षर करती रहूँगी। मोनिका जैन (Monica Jain) एवं मीनल सराफ (Meenal Saraf) दोनों मेरे ही नाम हैं अतः मेरे यूटी.आई. खाते में मेरा नाम मोनिका जैन (Monica Jain) के स्थान पर मीनल सराफ (Meenal Saraf) लिखा एवं पढ़ा जाए। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम
मोनिका जैन (Monica Jain)

नया नाम
मीनल सराफ (Meenal Saraf)
पत्नी—श्री दीप जैन
पता— हरीशंकरपुरम् एस एफ 3 साहिल अपार्टमेंट
ग्वालियर.

(G-120)

नाम परिवर्तन

मैं, ट्रेड आरक्षक— 1456 भगवत सनोडिया, उम्र लगभग 35 वर्ष पिता श्री डालचन्द सनोडिया, निवासी— 6वीं बटालियन, एस.ए.एफ. राँझी, जिला— जबलपुर शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ—

- (1) यह कि मैं शपथकर्ता छठवीं बटालियन, विसबल, राँझी जबलपुर में ट्रेड आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ।
- (2) यह कि मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम भगवत प्रसाद सनोडिया दर्ज है, जिसमें मेरा मिडिल नेम 'प्रसाद' अतिरिक्त दर्ज है तथा मेरे पिता का नाम डालचन्द दर्ज है, जिसमें मेरे पिता का सरनेम 'सनोडिया' दर्ज नहीं है।
- (3) यह कि मेरे आधार कार्ड (675974013717) में मेरा नाम भगवत सनोडिया तथा मेरे पिता का नाम डालचन्द सनोडिया दर्ज है, जो कि सत्य व सही है।
- (4) यह कि भगवत प्रसाद सनोडिया एवं भगवत सनोडिया, ये दोनों ही नाम मुझ शपथकर्ता के ही हैं तथा डालचन्द एवं डालचन्द सनोडिया, ये दोनों नाम मुझ शपथकर्ता के पिता के ही हैं, किसी अन्य व्यक्ति के नहीं हैं।
- (5) यह कि मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरा पूरा व सही नाम भगवत सनोडिया तथा मेरे पिता का पूरा व सही नाम डालचन्द सनोडिया दर्ज किया जावे. भविष्य में मुझको भगवत सनोडिया पिता श्री डालचन्द सनोडिया के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा व समझा जावे. इस बावत् मैंने वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली है।

पुराना नाम
(भगवत प्रसाद सनोडिया)
पिता डालचन्द

नया नाम
(भगवत सनोडिया)
पिता श्री डालचन्द सनोडिया

(G-121)

नाम परिवर्तन

मैं, शुभम आर्मो पिता सुरेश आर्मो, 26 वर्ष, निवासी नंदराम तहसील बिछिया, जिला मण्डला, मेरा घरेलू नाम सुमन है तथा मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम शुभम आर्मो अंकित है तथा मेरा घरेलू नाम सुमन आर्मो से आधार कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र बने हुए हैं। शुभम आर्मो एवं सुमन आर्मो एक ही व्यक्ति के नाम हैं अर्थात उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। मेरे आधार कार्ड, मतदाता सूची व अन्य दस्तावेजों में सुमन नाम जोड़ा जाना उचित है, जिससे कोई भ्रांति न रह जावे तथा उचित रूप से उपभोग किया जा सके। मेरे द्वारा शासकीय विभाग में नौकरी हेतु जो आवेदन किये गये हैं वे सुमन आर्मो के नाम से आवेदन किया गया है। मेरे द्वारा नाम के संबंध में जो जानकारी दी गई है वह पूर्णतः सत्य एवं सही है, इसमें किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है जानकारी असत्य पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगी।

पुराना नाम
(शुभम आर्मो)
पिता सुरेश कुमार आर्मो

नया नाम
(सुमन आर्मो)
पिता—सुरेश कुमार आर्मो
पता—11, वार्ड नम्बर 01, ग्राम नंदराम
ग्राम पंचायत नंदराम निचले टोला
पोस्ट नैज़र, तहसील, बिछिया
जिला मण्डला 481995 (म.प्र.)

(G-122)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा मायके का नाम शांति पुत्री मुकुन्दी विश्वकर्मा है एवं मेरा ससुराल का नाम ज्योति विश्वकर्मा पति श्रीराम विश्वकर्मा है। मैं, शांति ज्योति विश्वकर्मा के नाम से जानी जाती हूं, मेरे मायके के नाम शांति पुत्री मुकुन्दी विश्वकर्मा के शामिल खाते की कृषि भूमि ग्राम मौजा ढकरानिया पटवारी हल्का नम्बर 45 खसरा नम्बर 72 में रकवा 0.84 हैक्टेयर भूमि है उक्त भूमि में मेरे मायके का नाम शांति पुत्री मुकुन्दी विश्वकर्मा लेख है, जबकि मेरे ज्योति विश्वकर्मा के नाम से समस्त दस्तावेज जैसे – परिचय पत्र, आधार कार्ड आदि हैं। मेरा मायके का नाम शांति पुत्री मुकुन्दी विश्वकर्मा मायके के परिवार पत्र एवं दाखिल खारिज प्रमाण-पत्र पर दर्ज है एवं मेरी मायके की शामिल खाते की कृषि भूमि में मेरा नाम शांति पुत्री मुकुन्दी विश्वकर्मा लेख है। मेरे शांति एवं ज्योति विश्वकर्मा दोनों ही नाम की मैं एक ही महिला हूं।

अतः राजपत्र के उपरांत भविष्य में मुझे शांति और ज्योति विश्वकर्मा दोनों ही नाम से जाना एवं पुकारा जावे।

पुराना नाम (शांति)	नया नाम (ज्योति)
पुत्री मुकुन्दी विश्वकर्मा	पति श्रीराम विश्वकर्मा

(G-123)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स – डक कान्स्ट्रक्शन कंपनी पता – ग्राम नन्दगाँव, पो. निगाही, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.) फर्म पंजीयन ०५/४९/०१/०००७० / ११ दिनांक ०४-०८-२०११ है। यह कि फर्म के पार्टनर श्री कामेश्वर सिंह पिता श्री सत्यनरायण सिंह पता ग्राम नन्दगाँव जिला सिंगरौली (म.प्र.) दिनांक १३-०६-२०२२ से फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो तो वह प्रकाशन दिनांक के सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करे।

मेसर्स–डक कान्स्ट्रक्शन कंपनी
धर्मन्द्र कुमार सिंह
(पार्टनर)
पता— जिला सिंगरौली (म.प्र.)

(G-124)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स कुसुम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फर्म जिसका पता: १, एमराल्ड सिटी कॉलोनी, सांवेर रोड, इंदौर, फर्म एवं संस्थाएं विभाग, इंदौर संभाग में दिनांक २२-०५-२०१८ को पंजीकृत फर्म है, जिसका पंजीयन क्रमांक ०३-२७-०३-००५२-१८ है। जिसके भागीदार १. श्री संजय ठाकुर पिता श्री अंतरसिंह ठाकुर, २. श्री निरंजन जाधव पिता श्री रामस्वरूप जाधव हैं। तत्पश्चात् दिनांक ०१-१०-२०१४ को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा १. श्री अनूप गुप्ता पिता श्री अतुल गुप्ता भागीदारी फर्म मेसर्स कुसुम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में सम्मिलित हो गए हैं। यह सूचना भारतीय भागीदारी अधिनियम अंतर्गत पालनार्थ सूचना है।

मेसर्स कुसुम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स
संजय ठाकुर (वर्तमान पार्टनर)
निरंजन जाधव (वर्तमान पार्टनर)
अनूप गुप्ता (सम्मिलित होने वाले पार्टनर)
पार्टनर

(G-125)

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE IS HEREBY Given that the partnership firm M/S MAA CHAMUNDA SEEDS Registered office at Nagukheri, Ujjain Road, Dewas (MP) 455001 which was constituted *vide* partnership deed executed on 18th December, 2009 and duly registered at Ujjain in the Assistant Registrar of Firms bearing No. 07/38/01/00083/09 Dated 29-12-2009 and the initial partner were Smt. Kalpana Parmar W/o Shri Kailash Chandra Parmar and Shri Adarsh Jaiswal S/o Shri Vinod Jaiswal.

In this partnership firm subsequently Shri Ajaypal Singh Davdekar S/o Late Shri Lal Singh Davdekar and Shri Nikhil Jaiswal S/o Shri Vinod Jaiswal joined the firm from 1st day of April, 2013 *vide* deed of partnership executed on 1st day of April, 2013.

Further on 17th day of November, 2021, the partners has decided to reduce/increase the profit and/or loss shares of partners and remuneration payable to the working partners' and therefore, afresh deed of partnership has been executed on 17th Day of November, 2021.

Further, on 1st day of April, 2022 the partners Smt. Kalpana Parmar W/o Shri Kailash Chandra parmar and Shri Adarsh Jaiswal S/o Shri Vinod Jaiswal voluntarily retired from the firm *vide* Reconstituted Partnership Deed executed on 1st day of April, 2022.

Further, take Notice that the said business will be carried on by continuing partners under the old name and style.

For MAA CHAMUNDA SEEDS
Ajaypal Singh Davdekar
 S/o Late Shri Lal Singh Davdekar
 A-122, kalani Bagh, Dewas-455001(MP)

(PARTNER)

(G-126)

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE IS HEREBY Given that the partnership firm M/s D.M.G Reantors & Developers, having registered office at 10, Satyam Residency, Kailadevi Marg, Seth Mishrilal Nagar, Dewas (MP) which is constituted *vide* deed of partnership executed on 27-05-2020 and duly registered at Ujjain in the office of Assistant Registrar of Firms bearing No. 07/38/01/0020/20 Dated 30-07-2020. The partnership firm having two partners named (1) Shri Jayesh Garg (2) Shri Hitesh Kumar Garg. That the name of the firm has changed from M/s D.M.G. Reantors & Developers to M/s D.M.G. Realtors & Developers w.e.f. 15-09-2022.

For D.M.G. Realtors & Developers
Jayesh Kumar Garg
 S/o Shri Deepak Kumar Garg
(PARTNER)

117, Tukoganj Road, Nayapura, Dewas (MP)

(G-127)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स राज सन्स डेरी प्रोडक्ट्स, पता—गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल म.प्र. है, जिसका पंजीयन क्र. 48 सन् 2003–2004, दिनांक 8–7–2003 में रजिस्ट्रार फार्म्स एवं संस्थाएं भोपाल संभाग म.प्र. में पंजीयत है, इस भागीदारी फर्म से श्रीमती राजरानी पत्नी स्व. श्री जगन्नाथ डांग, श्रीमती दीपा अरोरा पत्नी श्री महेन्द्र कुमार, श्रीमती सन्तोष अरोरा पत्नी श्री मुकेश कुमार, श्रीमती मनीषा अरोरा पत्नी श्री ईश कुमार इस फर्म में दिनांक 31–3–2020 को भागीदार अपनी स्वेच्छा से पृथक हो रहे हैं, वर्तमान में फर्म में श्री महेन्द्र कुमार अरोरा, श्री मुकेश कुमार अरोरा, श्री ईश कुमार अरोरा भागीदारी के रूप में कार्य रहे हैं, फर्म का पुराना पता बदलकर नया पता—प्लाट नं. 4–8, सेक्टर—एच, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल म.प्र. है।

मैसर्स राज सन्स डेरी प्रोडक्ट्स,
प्लाट नं. 4–8, सेक्टर—एच, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया,
भोपाल (म.प्र.)
श्री महेश कुमार अरोरा
(भागीदार)

(G-128)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स कामर्शियल ऑटोमोबाइल एच.पी.सी. डीलर पेट्रोल पंप ग्राम अंधुआ बायपास रोड जबलपुर (म.प्र.)

पंजीयन क्र. 04/14/01/00180/14 वर्ष 2014–2015 दिनांक 18–11–2014 से फर्म के रजिस्ट्रार जबलपुर संभाग जबलपुर में पंजीकृत है।

पूर्व में दो पार्टनर 1. श्रीमती अंगूरी देवी W/o स्व. श्री मित्तर सेन गोयल 2. श्री मौलिक चौदहा S/o श्री बालमुकुंद चौदहा कार्य संचालित कर रहे थे. जिसमें से 1. श्रीमती अंगूरी देवी W/o स्व. श्री मित्तर सेन गोयल

दिनांक 1–11–2022 को अपनी स्वेच्छा से भागीदारी फर्म से निवृत्त हो गई है, इसलिए उन्हें दिनांक 1–11–2022 से इस फर्म की भागीदारी से निवृत्त माना जाये एवं दिनांक 1–11–2022 से फर्म प्रोप्राइटर शिप मानी जावे. जिसके प्रोप्राइटर मौलिक चौदहा है।

मैसर्स कामर्शियल ऑटोमोबाइल
मौलिक चौदहा
(भागीदार)

(G-129)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म SHREE SOMNATH ENTERPRISES पता Behind Bank of India, Village Nandani, Post Nandani, Tehsil Kalapipal, Dist. Shajapur (M.P.) पंजीयन क्र. 07/36/08/0148/22 दिनांक 14–2–2022 है।

जिसमें दिनांक 10–2–2022 को श्री विक्रम राठौर पिता सुरेश राठौर, पता 83–ख, बसोड मोहल्ला, सिहोर, तहसील सिहोर, जिला सिहोर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म SHREE SOMNATH ENTERPRISES पता Behind Bank of India, Village Nandani, Post Nandani, Tehsil Kalapipal, Dist. Shajapur (M.P.) से पृथक हो गये हैं. उक्त दिनांक 10–02–2022 से इस फर्म SHREE SOMNATH ENTERPRISES से श्री विक्रम राठौर पिता सुरेश राठौर, पता 83–ख, बसोड मोहल्ला,

सिहोर, तहसील सिहोर, जिला सिहोर (म.प्र.) पार्टनर (भागीदार) का कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में इस फर्म SHREE SOMNATH ENTERPRISES में निम्नानुसार भागीदार रह गये हैं।

SHREE SOMNATH ENTERPRISES

Behind Bank of India, Village Nandani, Post Nandani,
Tehsil Kalapipal, Dist. Shajapur (M.P.)

1. श्री गोपाल लाल सेन
2. श्री ज्योतिप्रकाश टांक
3. श्री रामेश्वर लाल जाट
4. श्री यतीन्द्र चौधरी
5. श्री रामेश्वर लाल जाट

(भागीदार)

(G-130)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स पटेल ऑटोमोबाईल्स, पता 34 / 1, फव्वारा चौक, महू नीमच रोड, रतलाम (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक – 07 / 37 / 01 / 00087 / 12 होकर दिनांक 12–12–2012 है जिसमें दिनांक 01–06–2022 को श्री रजनीकांत पटेल पिता श्री अम्बालाल जी पटेल, पता 89, स्टेशन रोड, रतलाम, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) भागीदार का स्वर्गवास हो गया है। तथा जिसमें दिनांक 01–06–2022 को (1) श्रीमती हीना पटेल पति श्री नीरव जी पटेल, पता जी – 379, विज्ञान नगर, इंदौर, तहसील इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.) (2) श्रीमती हिना पटेल पति श्री हेमन्त जी पटेल, पता 89, स्टेशन रोड, रतलाम, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) (3) श्री मीत पटेल पिता श्री सुधीर जी पटेल, पता 89, स्टेशन रोड, रतलाम, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) को नये भागीदारों के रूप में फर्म मेसर्स पटेल ऑटोमोबाईल्स, पता 34 / 1, फव्वारा चौक, महू नीमच रोड, रतलाम (म.प्र.) में प्रवेश हुआ है वर्तमान में इस फर्म मेसर्स पटेल ऑटोमोबाईल्स में (1) श्री हसमुख चन्द्र पटेल (2) श्री चेतन कुमार पटेल (3) श्रीमती हीना पटेल (4) श्रीमती हिना पटेल (5) श्री मीत पटेल निम्न भागीदार रहेंगे सूचित हो।

मेसर्स पटेल ऑटोमोबाईल्स

34 / 1, फव्वारा चौक, महू नीमच रोड, रतलाम (म.प्र.)

1. श्री हसमुख चन्द्र पटेल
2. श्री चेतन कुमार पटेल
3. श्रीमती हीना पटेल
4. श्रीमती हिना पटेल
5. श्री मीत पटेल

(भागीदार)

(G-131)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s SHREE GANESH INDUSTRIES जो कि 0187 / 23, NEAR SAGUN COLOR LAB, PANCHAYAT DHARAMSHALA ROAD, MORENA स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 02 / 44 / 01 / 0145 / 22, दिनांक 16–10–2022 है जिसमें दिनांक 28–7–2022 को फर्म का वर्तमान पता – 0187 / 23, NEAR SAGUN COLOR LAB, PANCHAYAT DHARAMSHALA ROAD, MORENA से परिवर्तित होकर फर्म का नवीन पता – सर्वे क्र. 1674, 1675 ग्राम लोहगढ़ तह. बामौर जिला मुरैना किया जा रहा है।

विनोद कुमार
(भागीदार)

M/s SHREE GANESH INDUSTRIES
0187 / 23, NEAR SAGUN COLOR LAB,
PANCHAYAT DHARAMSHALA ROAD, MORENA

(G-132)

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s S M INDUSTRIES जो कि A-4, INDUSTRIAL AREA, A. B. ROAD MORENA स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 02/44/01/0006/21, दिनांक 16-04-2021 है जिसमें दिनांक 01-04-2022 को भागीदार श्री सोनू गुप्ता पुत्र श्री भीकम चंद गुप्ता नि. वार्ड नं. 21, उपाध्याय गली, भरोषी धर्मशाला दत्तपुरा जिला मुरैना (म.प्र.) फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो रहे हैं। एवं दिनांक 01-04-2022 को श्रीमती रामकली देवी गुप्ता पत्नि श्री भीकम चंद गुप्ता नि. वार्ड क्र. 21 उपाध्याय गली, भरोषी धर्मशाला, दत्तपुरा जिला मुरैना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रही है। एवं दिनांक 11-11-2022 को श्रीमती रामकली देवी पत्नी श्री भीकम चंद गुप्ता नि. वार्ड क्र. 21, उपाध्याय गली, भरोषी धर्मशाला, दत्तपुरा, जिला मुरैना (म.प्र.) एवं श्री भीकम चंद गुप्ता पुत्र श्री दर्शन लाल गुप्ता नि. वार्ड क्र. 21, उपाध्याय गली, भरोषी धर्मशाला, दत्तपुरा, जिला मुरैना (म.प्र.) 1. श्रीमती नवल किशोरी पत्नी श्री सोनू गुप्ता नि. वार्ड क. 21, भरोषी धर्मशाला, दत्तपुरा, जिला मुरैना (म.प्र.) 2. श्रीमती रेनू अग्रवाल पत्नि श्री शिव कुमार गुप्ता नि. वार्ड क. 24, भरोषी धर्मशाला, दत्तपुरा, जिला मुरैना (म.प्र.) 3. श्रीमती नेहा गोयल पुत्री श्री दिनेश गोयल नि. 19, सिहोनिया जरैना, जिला मुरैना, (म.प्र) नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

M/s S M INDUSTRIES

नवल किशोरी गुप्ता

(भागीदार)

A-4, INDUSTRIAL AREA, A. B. ROAD, MORENA

(G-133)

NOTICE

[U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932]

Notice is hereby given that the firm "M/s. ARYA ASSOCIATES" *vide* Reg. No. 01/01/03/0310/20, Dated 06-12-2020 undergone the following changes w.e.f. 21-08-2021:-

1. That Virat Singh Parihar S/o Shri Virendra Singh Parihar has Joined the Partnership firm and Abhishek Tiwari S/o Shri Rajesh Tiwari has retired from the Partnership firm w.e.f. 21-08-2021

M/s Arya Associates
ATUL KUMAR SHARMA
VIRAT SINGH PARIHAR
(PARTNER)

D-101, Amra Estate, Nayapura,
Kolar, Road Kolar, Bhopal.

(G-134)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अंजु गुप्ता, निवासी—तुलसी विहार सिटी सेन्टर, ग्वालियर, विवाह पूर्व मेरा नाम अंजना पुत्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल था, विवाह उपरांत मेरा नाम अंजु गुप्ता पत्नी राकेश कुमार गुप्ता हो गया है, भविष्य में, मुझे अंजु गुप्ता पत्नी श्री राकेश कुमार गुप्ता के नाम से लिखा व पढ़ा जाये।

पुराना नाम
(अंजना अग्रवाल)
(G-135)

नया नाम
(अंजु गुप्ता)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरेंद्र साहू पुत्र श्री मदनलाल, निवासी—भोपाल कथन करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश अर्पित साहू हो गया है, जो कि गलत है, जबकि अन्य दस्तावेजों में प्रिंस साहू है। अतः मेरे पुत्र को प्रिंस साहू के नाम से जाना पहचाना जाए।

पुराना नाम
(अर्पित साहू)
(G-136)

नया नाम
(प्रिंस साहू)

नाम परिवर्तन

मेरा वास्तविक एवं प्रचलित नाम अजय राठौड़ पिता बाबूलाल राठौड़, बड़नगर है, जीवन बीमा पॉलिसी आदि में त्रुटिवश हरिकिशन राठौड़ अंकित है, मुझे अजय राठौड़ नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम
(हरिकिशन राठौड़)
(G-137)

नया नाम
(अजय राठौड़)

नाम परिवर्तन

मैं, PUTTAN SINGH BHADORIYA Army No. 01550247W Rankpeesioned Havildar पुत्र श्री धर्मसिंह, निवासी कोट के सामने, ग्राम व पोस्ट कनावर, तहसील व जिला भिण्ड (म0प्र0). सूचित करता हूँ कि मेरे पेशन (पी.पी.ओ./डिस्चार्ज कार्ड) में मेरा नाम PUNTAN SINGH MADHORIYA त्रुटिवश अंकित है।

अतः मेरा सही नाम PUTTAN SINGH BHADORIYA को आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। जो कि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में भी अंकित है।

पुराना नाम
(PUNTAN SINGH MADHORIYA)
(G-138)

नया नाम
(PUTTAN SINGH BHADORIYA)
निवासी कोट के सामने, ग्राम व पोस्ट कनावर,
तहसील व जिला भिण्ड (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्री देवेन्द्र दुबे (Devendra Dubey) आत्मज श्री धनपत राव दुबे, आयु-वयस्क, निवासी :— ई-204, अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स, पी.एन.टी. चौराहा कोटरा, तह. हुजूर, जिला भोपाल, म.प्र. 462003, ऐसा जो कि हम पूर्व में अपनी पुत्री ख्याहिश देव दुबे (Khwahish Dev Dubey) का नाम अर्यमा दुबे (Arrymaa Dubey) लिखते थे अब हम अपनी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों के अनुसार उसका नाम परिवर्तित कर ख्याहिश देव दुबे (Khwahish Dev Dubey) लिखते हैं, एवं इसी नाम से हमारी पुत्री जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती है। इस विज्ञप्ति उपरांत हमारी पुत्री को ख्याहिश देव दुबे (Khwahish Dev Dubey) पुत्री श्री देवेन्द्र दुबे (Devendra Dubey) के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जावे।

पुराना नाम
(अर्यमा दुबे) (Arrymaa Dubey)
(G-139)

नया नाम
(ख्याहिश देव दुबे) (Khawahish Dev Dubey)
पुत्री श्री देवेन्द्र दुबे (Devendra Dubey)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सचिन बोस (Sachin Bose) पुत्र स्व. श्री नगेन्द्र नाथ बोस, निवासी :— बोस हाउस ग्राम चोपना-1, शाहपुर, जिला बैतूल म.प्र. 460440, मैं पूर्व में अपना नाम सचिन्द्र नाथ बाला (Sachindra Nath Bala) शॉर्ट फोर्म में एस.एन.बाला (S.N. Bala), लिखता था। अब मैं, अपना नाम संशोधित कर सचिन बोस (Sachin Bose) पुत्र स्व. श्री नगेन्द्र नाथ बोस लिखता हूँ, एवं इसी नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, इस विज्ञप्ति उपरांत मुझे अपने संशोधित नाम सचिन बोस (Sachin Bose) पुत्र स्व. श्री नगेन्द्र नाथ बोस के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाए और भविष्य में भी मैं इसी नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा।

पुराना नाम
(सचिन्द्र नाथ बाला) (Sachindra Nath Bala)
शॉर्ट फोर्म में एस.एन.बाला (S.N. Bala),
(G-140)

नया नाम
(सचिन बोस) (Sachin Bose)
पुत्र स्व. श्री नगेन्द्र नाथ

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अदिती असाटी पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद असाटी, निवासी—म.नं. सुपर डिलक्स 63, मीनाल रेसीडेंसी, जे.के. रोड, पोस्ट-गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)—462023 की निवासी हूँ, पूर्व में मेरे बचपन/घर का नाम हनी असाटी पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद के नाम बुलाया जाता है। जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ तब से आज दिनांक तक सभी शैक्षणिक दस्तावेजों, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, चुनाव कार्ड, बैंक खाता इत्यादि मैं, मेरा नाम अदिती असाटी पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद के नाम से अंकित है, जो मेरा वास्तविक नाम है तथा वर्तमान तथा भविष्य में भी मुझे अदिती असाटी पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जायेगा। अतः सूचित हो।

पुराना नाम
(हनी असाटी)
(G-141)

नया नाम
(अदिती असाटी)
पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद असाटी
निवासी—म.नं. सुपर डिलक्स 63, मीनाल रेसीडेंसी,
जे.के. रोड, पोस्ट-गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, सरोज कुमार शुक्ला हैं। पिता स्व. रामानुज शुक्ला, निवासी ग्राम धौचट (बरहा टोला) पो. कचूर, जिला रीवा (म0प्र0) मैं फौज में EME में DVR (MT) में था। सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सरोज कुमार अंकित है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, ग्यारहवीं हायर सेकेंडरी मार्कशीट या अन्य रिकार्ड में मेरा नाम सरोज कुमार शुक्ला दर्ज है जो सही व सत्य है। अतः मेरे सर्विस रिकार्ड में सरोज कुमार शुक्ला लिखा, पढ़ा व जाना जाए।

पुराना नाम
(सरोज कुमार)
(G-142)

नया नाम
(सरोज कुमार शुक्ला)
पता—ग्राम धौचट (बरहा टोला), पोस्ट कचूर,
जिला रीवा (म.प्र.)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री गणेश इंडस्ट्रीज एंजाइम भागीदारी फर्म जिसका पता ग्राम पाठोंडा, जिला बुरहानपुर (म.प्र.) 450331 है, जिसका पंजीयन कमांक 03/47/02/0111/17, दिनांक 20-07-2017 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है। जिसके भागीदार 1. श्री नीलेश कुमार मुथा पिता श्री प्रेमचंद मुथा 2. श्री लखनलाल साहू पिता श्री बच्चूलाल साहू 3. श्री निम्बा बडगुजर पिता श्री खुशाल बडगुजर थे तत्पश्चात् दिनांक 1/04/2018 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री लखनलाल साहू पिता श्री बच्चूलाल साहू एवं श्री निम्बा बडगुजर पिता श्री खुशाल बडगुजर भागीदारी फर्म से निवृत्त (रिटायर) हुए एवं श्री प्रियेश साहू पिता श्री लखनलाल साहू एवं श्री संतोष मर्दाने पिता श्री निम्बा मर्दाने भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुए। यह विदित हो।

(G-143)

तर्फ

श्री गणेश इंडस्ट्रीज एंजाइम
1. नीलेश कुमार मुथा पिता श्री प्रेमचंद मुथा
2. प्रियेश साहू पिता श्री लखनलाल साहू
3. संतोष मर्दाने पिता श्री निम्बा मर्दाने

(भागीदार)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में प्रमोद रामराव शोलके पिता श्री रामराव के नाम से जाना एवं पहचाना जाता था। मेरे द्वारा सन्यास धारण कर लिया होकर गुरु द्वारा मेरा नामकरण स्वामी प्रणवानन्द गिरि पिता गुरु महामण्डलेश्वर श्री विश्वेश्वरानन्द गिरि के नाम से जाना एवं पहचाना जाता हूं व भविष्य में भी स्वामी प्रणवानन्द गिरि पिता गुरु महामण्डलेश्वर श्री विश्वेश्वरानन्द गिरि के नाम से जाना एवं पहचाना जाता रहूंगा। सो विदित हो।

स्वामी प्रणवानन्द गिरि पिता गुरु महामण्डलेश्वर श्री विश्वेश्वरानन्द गिरि अन्नपूर्णा आश्रम इंदौर।

पुराना नाम
(प्रमोद रामराव शोलके)
पिता—रामराव
(G-144)

नया नाम
(स्वामी प्रणवानन्द गिरि)
गुरु महामण्डलेश्वर श्री विश्वेश्वरानन्द गिरि

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम ऐश्वर्या पाटील था जो अब ऐश्वर्या महाडिक हो गया है। वर्तमान में तथा भविष्य में मुझे ऐश्वर्या महाडिक के नाम से ही जाना पहचाना जावे।

पुराना नाम
(ऐश्वर्या पाटील)
(G-145)

नया नाम
(ऐश्वर्या महाडिक)
50, द्रविड मार्ग, क्षीर सागर कॉलोनी,
उज्जैन (म.प्र.) पिन 456001

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 03 जनवरी 2015 को दबंग दुनिया में जाहिर सूचना प्रकाशित की जा चुकी है जिसके अनुसार मेरा नाम हर्ष पिता चंद्रशेखर तिवारी हो गया है, अब मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम
(अंकित तिवारी)
(G-146)

नया नाम
(हर्ष तिवारी)
बी-47, सेल्स टैक्स कॉलोनी,
गुमास्ता नगर, इन्दौर (म.प्र.)

NOTICE U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firms "M/S HARDICK REALTY" of Bhopal *vide* Reg. No. 01/01/01/0298 year 2022-23 date of Registration 02-11-2022 undergone the following changes:-

That Ms. Gureen Saluja D/o Harpreet Saluja have expressed her desire to join the partnership firm and work together as partner and Mr. Deepak Lalchandani S/o Shri Jethanand Khialdas Lalchandani, Mr. Ravi Narayan Jashnani S/o Shri Narayan Jashnani And Mrs. Jyotsna Jain W/o Shri K.C. Jain in pursuance to their desire to retiring from the partnership firm with effect from 10-11-2022.

(G-147)

Harpreet Singh Saluja
(PARTNER)
"M/S HARDICK REALITY"

NOTICE
U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIPACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/S HANUMANT CONSTRUCTION" of Bhopal *vide* Registration No. 01/01/01/00262/11 year 2011-2012, Dated 27-09-2011 undergone the following changes:-

That both partners of "M/S HANUMANT CONSTRUCTION" have been mutually agreed that the firm should be dissolved w.e.f. 30-11-2022.

(PARTNER)
 "M/S HANUMANT CONSTRUCTION"
 H.No.-74, Satya Gyan Nagar, Chola Mandir, Bhopal.
 (G-148)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर का नाम रजनी बांदिल पत्नी स्व. श्री रामजी बांदिल, निवासी नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर है तथा मेरे स्कूल का नाम रामकली बांदिल है, जो मेरे दस्तावेज में दर्ज है तथा मेरे पति ने मेरे घरेलू नाम रजनी के नाम से आई सी आई के कुछ शेयर खरीदे थे।

रजनी बांदिल व रामकली बांदिल एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। अब, मैं अपना नाम समस्त दस्तावेजों में रामकली बांदिल पत्नी स्व. श्री रामजी बांदिल करना चाहती हूँ। अतः, अब मुझे आज दिनांक के पश्चात् रामकली बांदिल पत्नी स्व. श्री रामजी बांदिल के नाम से ही जाना व पहचाना जावे।

घरेलू व पुराना नाम (रजनी बांदिल)	नया नाम (रामकली बांदिल) पत्नी स्व. श्री रामजी बांदिल निवासी—नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर।
-------------------------------------	--

(G-149)

नाम परिवर्तन

मैं, रज्जन लाल अमृतलाल जैन, निवासी तारण—तरण मेडिकल स्टोर, सावरकर चौक, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने अपना नाम बदलकर रज्जन लाल तारण कर लिया है, आगे से मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना जावे।

पुराना नाम (रज्जन लाल अमृतलाल जैन)	नया नाम (रज्जन लाल तारण)
---------------------------------------	-----------------------------

(G-150)

नाम परिवर्तन

मैं, अनुष्ठा गुप्ता पुत्री श्री अनिल गुप्ता, निवासी—मकान नंबर एल.एफ. 45, कॉलोनी नेहरू नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश सूचित करती हूँ कि मेरी कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की सीबीएसई की अंकसूची में मेरी माता का नाम श्रीमती अंशु गुप्ता अंकित है जबकि मेरी माता का सही व वास्तविक नाम श्रीमती समीक्षा गुप्ता है। अतः मेरे आगामी समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरी माता का नाम श्रीमती समीक्षा गुप्ता अंकित किया जावे।

पुराना नाम (अंशु गुप्ता)	नया नाम (समीक्षा गुप्ता)
(G-151)	निवासी—मकान नं. एल.एफ 45, कॉलोनी नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, मुन्नालाल गौड़ पुत्र श्री भगवान लाल गौड़, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन में घर का नाम ओमप्रकाश गौड़ था जो मेरी पत्नी विन्द्रा के आधार कार्ड में पति के नाम के स्थान पर लिखा गया है। जबकि वर्तमान में मुझे मुन्नालाल गौड़ पुत्र श्री भगवान लाल गौड़ के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ और भविष्य में भी मैं मुन्नालाल गौड़ के नाम से ही जाना—पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा। मुन्नालाल गौड़ एवं ओमप्रकाश गौड़ दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरी पत्नी विन्द्रा के आधार कार्ड में पति के नाम के, नाम के साथ ओमप्रकाश गौड़ के स्थान मुन्नालाल गौड़ लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम (ओमप्रकाश गौड़)	नया नाम (मुन्नालाल गौड़)
(G-152)	पता—वार्ड नं. 11, राम मंदिर गली, पुराना जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती नीतू तिवारी, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम नीतू तिवारी था। मेरा विवाह रतनेश गुरु से हो जाने के कारण मेरा नाम श्रीमती नीतू गुरु पत्नी श्री रतनेश गुरु हो गया था जो मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में लिखा है। वर्तमान में मेरा विवाह विच्छेदन दिनांक 25—08—2011 को होने के कारण में अपनी पहचान शादी पूर्व नाम नीतू तिवारी करवा चुकी हूँ तथा अपने पुत्र समृद्ध गुरु Samradh Guru जो कि अब मेरे साथ ही है उसका नाम समृद्ध तिवारी Samradh Tiwari करवाना चाहती हूँ क्युकी अब वो इस ही नाम से जाना—पहचाना और पुकारा जाता है। और भविष्य में भी वो समृद्ध तिवारी के नाम से ही जाना—पहचाना जाएगा व हस्ताक्षर करता रहेगा। अतः उसके सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में उसका नाम समृद्ध गुरु के स्थान पर समृद्ध तिवारी लिखा एवं पढ़ा जावे आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम (समृद्ध गुरु) (Samradh Guru)	नया नाम (समृद्ध तिवारी) (Samradh Tiwari)
(G-153)	पता—154, सेक्टर ए सर्वधर्म, कोलार, भोपाल (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, अरविंद कुमार S/o श्री रामसेवक स्थाई निवासी 44 वार्ड नं.10 तालपुरा इंदरगढ़, सेवढा, जिला दतिया म.प्र. हाल निवासी क्वार्टर नं. 1,206 मोहन नगर थाटीपुर, जिला ग्वालियर म.प्र. यह कि मैं शापथकर्ता वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दीनदयाल नगर, जिला ग्वालियर में रसायनज्ञ के पद पर कार्यरत हूं तथा मेरी सेवा पुस्तिका, सर्विस रिकॉर्ड एवं अन्य रिकॉर्ड में मेरा नाम रविंद कुमार आदिवासी अंकित हो गया है जिसके स्थान पर मैं, अपने नाम में परिवर्तन करके नाम अरविंद कुमार क्षे. कार्या म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दीनदयाल नगर, ग्वालियर की सेवा पुस्तिका, सर्विस रिकॉर्ड एवं अन्य रिकॉर्ड में दर्ज करवाना है. जो कि दोनों नाम मेरे हैं. अतः भविष्य में भी मुझे अरविंद कुमार के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(रविंद कुमार आदिवासी)

(अरविंद कुमार)

(G-154)

नाम परिवर्तन

मैं, दीना (Deena) पुत्र श्री पस्सा (Passa) सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे घर व विद्यालय का बोलता नाम रामदीन गौड़ (RAM DIN GAUD) पुत्र श्री परस राम गौड़ (PARASRAM GAUD) था. जो मेरी भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी क्रमांक 200943203 में लिख गया है. जबकि वर्तमान में मैं, दीना (Deena) पुत्र श्री पस्सा (Passa) के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूं जो मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड इत्यादि में लिखा है. दीना (Deena) पुत्र श्री पस्सा (Passa) एवं रामदीन गौड़ (RAM DIN GAUD) पुत्र श्री परस राम गौड़ (PARASRAM GAUD) दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी क्रमांक 200943203 में मेरा नाम रामदीन गौड़ (RAM DIN GAUD), पुत्र श्री परस राम गौड़ (PARASRAM GAUD) के स्थान पर दीना (Deena) पुत्र श्री पस्सा (Passa) लिखा एवं पढ़ा जावे आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम

नया नाम

(रामदीन गौड़) (RAM DIN GAUD)

पुत्र श्री परस राम गौड़ (PARASRAM GAUD)

दीना (Deena) पुत्र श्री पस्सा (Passa)

पता— ग्राम छोटा निटारा, सबलगढ़ बमसोली, मुरैना (म.प्र.)

(G-155)

नाम परिवर्तन

1. यह कि मेरे पुत्र का अवनीश ढेंगले आत्मज ब्रह्मा नवीन बाबू कोनम माता श्रीमती डाक्टर स्मिता ढेंगले का नाम उसके जन्म प्रमाण—पत्र के नाम पर बी.वी. अवनीश कोनम आत्मज ब्रह्मा नवीन बाबू कोनम आयु 13 वर्ष, निवासी— पलेट नं. 201 / ए1. फॉर्चून सिंगनेचर बावडिया कला ओरियन स्कूल के पास, भोपाल म.प्र. के नाम से जाना, पहचाना जाता है.

2. यह कि अब मेरे पुत्र का नाम अवनीश ढेंगले आत्मज ब्रह्मा नवीन कोनम माता श्रीमती डाक्टर स्मिता ढेंगले आयु 13 वर्ष निवासी पलेट नं.-201 / ए1. फॉर्चून सिंगनेचर बावडिया कलां ओरियन स्कूल के पास, भोपाल म.प्र. के नाम से जाना, पहचाना जावे.

3. यह कि अब से मेरे पुत्र को अवनीश ढेंगले आत्मज ब्रह्मा नवीन कोनम माता श्रीमती डाक्टर स्मिता ढेंगले उपर्युक्त वर्णित भोपाल स्थायी निवासी के रूप में जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम

नया नाम

(बी.वी. अवनीश कोनम)

(अवनीश ढेंगले)

(G-156)

नाम परिवर्तन

मैं, वैशाली माखीजानी (VAISHALI MAKHIJANI) पत्नी जगदीश माखीजानी सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरा विवाह पूर्व का नाम हेमा आहूजा (HEMA AHUJA) था जो मेरे शैक्षणिक व अन्य प्रमाण—पत्रों में लिखा गया है मेरा विवाह जगदीश माखीजानी के साथ दिनांक 01-07-2002 को सिन्धी रीति—रिवाज से हुआ था जिस कारण मेरा नाम विवाह पश्चात् वैशाली माखीजानी (VAISHALI MAKHIJANI) पत्नी जगदीश माखीजानी हो गया है। जो मेरे पैन कार्ड, आधार कार्ड मूल निवासी इत्यादि में लिखा गया है और वर्तमान में मैं, इसी नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूं। वैशाली माखीजानी एवं हेमा आहूजा दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे शैक्षणिक प्रमाण—पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम हेमा आहूजा के स्थान पर वैशाली माखीजानी लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम	नया नाम
(हेमा आहूजा)	(वैशाली माखीजानी)
(HEMA AHUJA)	(VAISHALI MAKHIJANI)
पता— जी 4, श्री कृष्ण कॉलोनी, हैदर गंज, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)	

(G-157)

नाम परिवर्तन

मैं, आयमन सिद्दीकी आत्मज हफीज उर रहमान निवासी 03, गुप्ता कॉलोनी अशोका गार्डन, भोपाल मेरे सभी दस्तावेजों में नाम आयमन उर रहमान सिद्दीकी दर्ज है, लेकिन सही नाम आयमन सिद्दीकी (AAYMAN SIDDIQUI) है, समस्त दस्तावेजों में आयमन उर रहमान सिद्दीकी के स्थान पर आयमन सिद्दीकी (AAYMAN SIDDIQUI) लिखा जाए।

पुराना नाम	नया नाम
(आयमन उर रहमान सिद्दीकी)	(आयमन सिद्दीकी)
	(AAYMAN SIDDIQUI)
पता— म.न. 03, गुप्ता कॉलोनी, पंजाबी बाग, भोपाल	

(G-158)

नाम परिवर्तन

मैं, नरेन्द्र टेड्युस पुत्र स्व. श्री टेड्युस गेतान, निवासी गंजबासौदा के नाम से जाना जाता रहा हूं, किन्तु पूर्व में मुझे किन्हीं स्थानों एवं दस्तावेजों में रवि प्रकाश टेड्युस के नाम से भी जाना जाता था।

अब मुझे सभी स्थानों एवं दस्तावेजों में नरेन्द्र टेड्युस के नाम से ही जाना जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(रवि प्रकाश टेड्युस)	(नरेन्द्र टेड्युस)
	निवासी— बरेठ रोड, गंजबासौदा,
	वर्तमान पता— फ्लेट नं. 106, कम्फर्ट क्लासिक,

(G-159)

नाम परिवर्तन

विनम्र निवेदन है कि आपकी एलआईसी शाखा में बीमाधारक हूं मैं, मेरा नाम उस पॉलिसी में मेरा नाम लपुड़ी लिखा गया था परंतु मेरा वास्तविक नाम जो कि आधार कार्ड, पैनकार्ड इत्यादि दस्तावेज में लाखाराम है जो सही एवं सत्य है।

(लाखाराम)	श्रीनगर कॉलोनी थाटीपुर मुरार
	ग्वालियर (म.प्र.)

(G-160)

नाम परिवर्तन

मैं, उमा किरन पति महेश चौधरी सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरे आधार कार्ड (आधार कार्ड न. 7563 5250 2564) में मेरा नाम उमा महेश चौधरी अंकित है जबकि मेरी सेवा पुस्तिका में उमा किरन अंकित है। दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अतः मुझे भविष्य में उमा किरन पति श्री महेश चौधरी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम

(उमा महेश चौधरी)

नया नाम

(उमा किरन)

पति— महेश चौधरी

पता— 234, कबीरपुरा हनुमान मंदिर के पास,
शाहजहाँनाबाद, भोपाल।

(G-161)

जाहिर सूचना

सूचित हो कि पूर्व में मेरा नाम ब्रह्मकुमारी सविता पिता गणेशलाल मंगल था जिसे मैंने परिवर्तित कर मेरा नाम ‘ब्रह्मकुमारी महिमा मंगल पिता श्री गणेशलाल मंगल’ कर लिया है तथा भविष्य में अपने इसी नाम ब्रह्मकुमारी महिला मंगल से जानी, पहचानी जाऊँगी। उक्त दोनों नाम ब्रह्मकुमारी सविता एवं ब्रह्मकुमारी महिला मंगल मेरे ही होकर एक ही महिला के नाम हैं।

पुराना नाम

(ब्रह्मकुमारी सविता)

नया नाम

(ब्रह्मकुमारी महिमा मंगल)

पता— 57, ओल्ड अग्रवाल नगर, इन्दौर (म.प्र.)

(G-162)

गोविंद गार्डन, भोपाल।

जाहिर सूचना

भागीदारी फर्म नाम— मैं. लखवानी मोटल्स क. पता— 288 / 4, ए.बी. रोड, हुकमाखेड़ी, राउ इन्दौर म.प्र. को पांच भागीदारों ने मिलकर 03 अक्टूबर 2003 को भागीदारी लेख के साथ फर्म का निर्माण किया था, जिसमें प्रथम भागीदार सिद्धार्थ नीखरा पिता श्री डॉ. रमेश नीखरा, द्वितीय भागीदार आरती नीखरा पिता श्री डॉ. रमेश नीखरा, तृतीय भागीदार डॉ. रमेश नीखरा पिता श्री एम.डी. नीखरा, चतुर्थ भागीदार मोहनी नीखरा पति श्री रमेश नीखरा, पंचम भागीदार वाकिफ मलिक थे। उपरोक्त भागीदारों में से 28 मार्च 2006 को वाकिफ मलिक ने स्वयं त्याग पत्र फर्म को प्रदान कर दिया था जिसका संशोधित भागीदारी लेख दिनांक 28 नवम्बर 2006 को निर्मित भागीदारी लेख में किया गया था। पुनः 29 सितम्बर 2021 को संशोधित भागीदारी लेख निर्मित किया गया जिसमें आरती नीखरा ने स्वयं त्याग पत्र फर्म को प्रदान किया था। फर्म का पेन कार्ड नम्बर— AAMFM4511C है।

उपरोक्त लिखित सूचना पूर्णतः सही एवं सत्य है।

यह कि— उपरोक्त लिखित सूचना में कोई भी कथन मिथ्या पाया जाता है तो समस्त दायित्व फर्म की भागीदारी लेख में लिखित शेष समस्त भागीदारों का रहेगा। यह सूचना फर्म और सोसायटी विभाग के फर्म पंजीयन में संशोधन करवाने बावत् प्रसारित की जा रही है जो कि भारतीय भागीदारी अधिनियम में पंजीयत फर्म है।

मेसर्स लखवानी मोटल्स क.

पता— 288 / 4, ए.बी.रोड, हुकमाखेड़ी, राउ इन्दौर, म.प्र.
फर्म की पंजीयन संख्या— आई.एफ / 13 / 97.

(G-163)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा,
जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 0006—बी—113(1)—2022—23

खण्डवा, दिनांक 4 जनवरी 2023

प्रारूप—चार

(म.प्र.) सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2), एवं म.प्र. सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5 (1), के अन्तर्गत।

दिनांक 4.1.2023 को जारी

जैसा कि देवीदास पटेल पिता मोतीराम निवासी दोंदवाड़ा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु म.प्र. सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1951, की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 30.1.2023 को विचार किया जायगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का
नाम एवं पता

“रेवा गुर्जर समाज मांगलिक भवन न्यास, ग्राम दोंदवाड़ा” तहसील
व जिला खण्डवा

चल संपत्ति

2,00,000/- नगदी (शब्दों में दो लाख) एवं समाज के बर्तन अनुमानित
मूल्य 3.00 लाख रुपये

अचल संपत्ति

1—दान की गई भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खसरा नंबर 349/2 रकबा 0.02 है।
अनुमानित किमत 10.00 लाख रुपये
2—दान की गई भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खसरा नंबर 351/2 रकबा 0.05 है।
अनुमानित किमत 5.00 लाख रुपये

अरविंद कुमार चौहान, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-164)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, एम.पी.नगर, वृत्त भोपाल, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 76—बी—113—2022—23

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2023

म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5(1)
 पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत
 समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल

आवेदक न्यासी श्री ओसवाल नगर स्थानकवासी श्वेताम्बर जैन ट्रस्ट 99 ओसवाल नगर कुंजन नगर फेस-1 के पास बागसेवनिया भोपाल द्वारा म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर "श्री ओसवाल नगर स्थानकवासी श्वेताम्बर जैन ट्रस्ट" 99 ओसवाल नगर कुंजन नगर फेस-1 के पास बागसेवनिया भोपाल का पंजीयन करने हेतु निवेदन किया है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 09/02/2023 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट या संपत्ति में हित रखता हो एवं कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित दो प्रतियों में इस विज्ञाप्ति के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

//अनुसूची//

ट्रस्ट का नाम	श्री ओसवाल नगर स्थानकवासी श्वेताम्बर जैन ट्रस्ट
कार्यालय का पता	99 ओसवाल नगर कुंजन नगर फेस-1 के पास बागसेवनिया भोपाल
अचल संपत्ति	निरंक
चल संपत्ति	1,00,000/- (एक लाख रुपये)

राजेश गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार

(G-165)

कार्यालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड—जावरा,
जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

क्र. 338—रीडर—3—23

जावरा, दिनांक 19 जनवरी 2023

फार्म - 4

(नियम 5(1) देखीये)

म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एकट अधिनियम 1951 की धारा 5(2) के तहत

आवेदक श्री श्री बाबूलाल पिता रामसिंग डांगी ग्राम लुहारी तहसील जावरा द्वारा धारा 4(2)

म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट 1951 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई दिनांक 17/02/2023 को उपखण्ड कार्यालय जावरा पर दोप. 02:30 बजे की जावेगी।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 17/02/2023 को इस न्यायालय में अपना लिखीत वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा नियत समय पर उपस्थित हों। निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

// पब्लिक ट्रस्ट का नाम पता तथा सम्पत्ति का विवरण //

(1) न्यास का पुरा नाम	-	श्री कैलाश बाबू सगस बातजी ट्रस्ट, निवासी मकान नं. 128
वार्ड 11 लुहारी तहसील जावरा	-	
(2) चल सम्पत्ति का विवरण	-	कुल 2000/- रुपये
(3) अचल सम्पत्ति का विवरण	-	सर्वे नं. 239/1 में 0.089 हे. एवं सर्वे नं. 240/1/1 में 0.037 हे. कुल रकबा 0.126 हे.

हिमांशु प्रजापति, रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी।

(G-166)

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी उज्जैन नगर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र.-एसडीएम नगर-रीडर-1-2023-H.N.389-प्र.क्र. 34-B-113-22-23

उज्जैन, दिनांक 16 जनवरी 2023

प्रारूप-4

(नियम-5) 1 (देखिए)

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए।

पंजीयक,

लोकन्यास,

उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष

यूके आवेदक बसंतीलाल अखण्ड पिता श्री मांगीलाल अखण्ड निवासी— 16 प्रकाश नगर उज्जैन म.प्र. द्वारा "श्री नागेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक एवं सामाजिक न्यास" उज्जैन (म.प्र.) कार्यालय— 16, प्रकाश नगर, सांवेर रोड उज्जैन ने म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद् द्वारा यह सूचना दिया जाता है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 16.01.2023 को दोपहर 03:00 बजे स्थान— सग्राट विकासादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल में खण्ड-स के कक्ष कमांक-01 में विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन नगर जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 16.01.2023 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता ओर कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

-:अनुसूची:-

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नामः—

"श्री नागेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक एवं सामाजिक न्यास"

कार्यालय :-

16, प्रकाश नगर, सांवेर रोड, उज्जैन

अचल संपत्ति :-

वर्तगान गौ न्यास के पास अचल संपत्ति निरंक है।

चल संपत्ति --

आवेदन में घल संपत्ति 5,551/-रु. दर्शाया गया है।

कल्याणी पाण्डेय, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, कोठीमहल, उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश

प्र.क्र.-0004-बी-113-2022-23

उज्जैन, दिनांक 16 जनवरी 2023

प्रारूप -चार
(नियम-5) 1 (देखिए)
सूचना-पत्र

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए।

पंजीयक,
लोकन्यास,
उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष

चूंकि आवेदक "श्री महाकाल, नागदाह ब्राह्मण पारमार्थिक न्यास" उज्जैन द्वारा श्री विनोद कुमार शर्मा पिता स्व. श्री बाबूलाल शर्मा अध्यक्ष, निवासी प्रस्तावित कार्यालय ए-126 पाश्वर्वनाथ सिटी, नागझिरी, देवास रोड, उज्जैन (म.प्र.) ने म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद् द्वारा यह सूचना दिया जाता है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 16/01/23 को प्रातः 11:00 बजे स्थान- नवीन प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल में खण्ड-स के कक्ष क्रमांक-03 में विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन नगर जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 16/01/23 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता ओर कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात अपाप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

-:अनुसूची:-

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम:-

कार्यालय :-

अचल संपत्ति :-

चल संपत्ति :-

"श्री महाकाल, नागदाह ब्राह्मण पारमार्थिक न्यास"

ए-126 पाश्वर्वनाथ सिटी, नागझिरी, देवास रोड, उज्जैन (म.प्र.)

निरंक

२,०५,९४९ | -कृपये

/

विरेन्द्र सिंह दांगी, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र.-परि-2023-04

उज्जैन, दिनांक 2 जनवरी 2023

—:: आदेश :-

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत)

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/परि./2022/2912 दिनांक 23.12.2012 के द्वारा तिरुपति गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा दित उज्जैन पंजीयन क्रमांक 1462 दिनांक 23.08.1997 के संचालक मंडल को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत सूचना पत्र जारी करते हुए संस्था को परिसमापन में लाये जाने के पूर्व 10 दिन का सुनवाई का अवसर दिया गया था। उक्त कारण बताओ सूचना पत्र पंजीकृत डाक के साथ साथ दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक अवंतिका दिनांक 25.12.2022 एवं दैनिक माटी की महिमा दिनांक 25.12.2022 के माध्यम से प्रसारित किया गया। परन्तु संस्था की ओर से नियत तिथि तक इस सूचना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। कोई जवाब प्रस्तुत न किये जाने से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 69(3) के तहत अधिरोपित किये गए आरोप सिद्ध हैं, इस प्रकार प्रमाणित पाये गए आरोप निम्नानुसार हैं :—

1. म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2)(बी) के अनुसार जहां रजिस्ट्रार की राय है वह सोसायटी मुख्यतः किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणतः सदस्यों के हित को सम्प्रवर्तित करने के लिये कार्य करती हों, ऐसी सोसायटी को परिसमापन में लाया जा सकता है। संस्था की प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा जैनीवाल दिनांक 06.12.1997 एवं दिनांक 20.04.2002 को सम्पन्न निर्वाचन में लगातार 2 कार्यकाल तक अध्यक्ष रही है, तदोपरांत इनके पति श्री राजेन्द्र जैनीवाल दिनांक 25.09.2008 को अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तदोपरांत इनके पति के भाई श्री अजित शुक्ला दिनांक 2.10.2015 एवं 30.03.2021 को हुए निर्वाचन में अध्यक्ष रहे। दिनांक 06.12.1997 को हुए निर्वाचन में वर्तमान अध्यक्ष के निकट नातेदार 3 संचालक, दिनांक 20.04.2002 को 3 संचालक दिनांक 25.09.2008 को 5 संचालक दिनांक 29.10.2015 को हुए निर्वाचन में 5 संचालक एवं दिनांक 30.03.2021 को हुए निर्वाचन में 04 संचालक निकट नातेदार रहे हैं। सदस्यता सूची के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि संस्था अध्यक्ष श्री अजित शुक्ला, उनके भाई श्री नरेन्द्र शुक्ला अन्य भाई श्री राजेन्द्र जैनीवाल, भतीजा भूपेन्द्र शुक्ला एवं लिखित भारद्वाज सदस्य हैं। इस प्रकार इस संस्था के द्वारा मुख्यतः शुक्ला / जैनीवाल / भारद्वाज परिवार के समूह के हितों का ही प्रवर्तन किया जा रहा है, जो अधिनियम की धारा 69 (2) के तहत कार्यवाही किये जाने योग्य है।

2. म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2)(सी) के अनुसार जहां उस सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन की किन्हीं ऐसी शर्तों का, जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हों, अनुपालन करना बंद कर दिया हो, तब रजिस्ट्रार ऐसी सहकारी संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश कर सकते हैं। संस्था के वर्तमान संचालक मंडल का निर्वाचन दिनांक 30.03.2021 को सम्पन्न हुआ है। इस निर्वाचन में 21 सदस्यों की सूची प्रयुक्त हुई है। सदस्यता सूची का अवलोकन किया गया। ज्ञात जानकारी के अनुसार वर्तमान संस्था अध्यक्ष के पिता श्री देवकरण की मृत्यु निर्वाचन के पूर्व हो चुकी है, परन्तु

साक्ष्य के अभाव में इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया गया, फिर भी इस तथ्य को प्रमाणित करने का भार संस्था अध्यक्ष पर अधिरोपित किया जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था के संचालक श्री मोहसिन बुखारी का स्वर्गवास दिनांक 11.05.2021 को हो चुका है, परन्तु संचालक मंडल के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन प्राधिकारी को कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया। संस्था के 21 सदस्यों में से सदस्य श्रीमती मनीषा जरिया एवं सदस्य श्री नरेन्द्र मालवीय के द्वारा सदस्यता से त्याग पत्र दिया जा चुका है। इस प्रकार कुल 21 सदस्यों में से श्री मोहसिन का स्वर्गवास हो जाने, श्री नरेन्द्र मालवीय एवं श्रीमती मनीषा जरिया द्वारा सदस्यता से त्यागपत्र दे दिये जाने के कारण अब संस्था में मात्र 18 सदस्य शेष रहे हैं। म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 6 (1) में निहित रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के अनुसार सहकारी सोसायटी के पंजीयन हेतु न्यूनतम 20 विभिन्न परिवार के जो निकट के नातेदार न हो, सदस्य होना आवश्यक है। उपरोक्त प्रथम बिन्दु अनुसार कुल 21 सदस्यों में से 5 सदस्य एक ही परिवार के निकट नातेदार सदस्य हैं तथा 2 सदस्यों के त्यागपत्र एवं 01 सदस्य के स्वर्गवास होने से भौतिक रूप से 18 सदस्य ही शेष रह जाने से यह स्पष्ट है कि इस सहकारी संस्था के द्वारा रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का पालन करना बंद कर दिया है, इस प्रकार यह संस्था म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य है।

अतः मैं मनोज कुमार गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन म०प्र०० शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक ५-१-९९-१५-१-सी दिनांक 26.7.1999 द्वारा म०प्र०० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तिरुपति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादा उज्जैन को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के तहत श्री शांतिलाल चौहान सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापनक नियुक्त करता हूँ। परिसमापनक को आदेशित करता हूँ कि संस्था की परिसमापन प्रक्रिया 6 माह में पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 02.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-169)

क्र.-परि.-2023-48

उज्जैन, दिनांक 12 जनवरी 2023

(म०प्र०० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) के अन्तर्गत)

अनुपम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन में श्री बी.एल.सोलंकी, सहकारी निरीक्षक कौ प्रशासक नियुक्त किया गया था। उनके द्वारा पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि संस्था के अध्यक्ष का स्वर्गवास (मृत्यु) हो चुकी है। संस्था का रिकार्ड उनके पास ही था, संस्था के उपाध्यक्ष द्वारा भी प्रशासक को अवगत कराया है कि संस्था का रिकार्ड उनके पास नहीं है। संस्था के प्रशासक द्वारा संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा है।

अतः मैं मनोज कुमार गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2)(क/ग)एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-५-१-९९-पन्द्रह-१-सी, दिनांक 26.07.1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुपम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन, (पंजीयन क्रमांक DR/UJN/71/07-03-1981) को परिसमापन में लाता हूँ। श्री बी.एल.सोलंकी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक संस्था का तत्काल सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे। संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 12.01.2023 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-170)

^

क्र.-परि.-2023-99

उज्जैन, दिनांक 20 जनवरी 2023

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) के अन्तर्गत)

इस कार्यालय द्वारा मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्यादित टंकारिया पंथ (पंजीयन क्रमांक 137 दिनांक 05.03.1962) की शिकायत की जाँच करने पर संस्था में प्राप्त अनियमिताओं के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक /शिकायत/ 2976 /2022, उज्जैन दिनांक 21.12.2022 से म0प्र0 सहकारी संस्थाएँ, अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया जिसमें 07 दिवस में उत्तर चाहा गया था, संस्था अध्यक्ष द्वारा दिनांक 20.01.2023 को उत्तर प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन किया गया था, उध्यक्ष का उत्तर समाधान कारक नहीं पाया गया। कारण बताओं सूचनापत्र में यह स्पष्ट अंकित किया गया था कि संस्था में 24 सदस्य शेष हैं जिनमें से 09 सदस्य एक ही परिवार के हैं। संस्था के दिनांक 09.05.2022 को सम्पन्न हुए निर्वाचन में 11 संचालक निर्वाचित हुए थे। श्री राधेश्याम बाथम संस्था अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, श्री बाथम सहित 11 संचालकों में से 07 संचालक इन्हीं के परिवार के हैं यथा उनकी पत्नि श्रीमति बबली बाई, पुत्री कु. किर्ती, पुत्री कु. उमा, भाई श्री घनश्याम, भाभी श्रीमति दुर्गा एवं माँ श्रीमति कल्लीबाई संचालक निर्वाचित हैं। निर्वाचित 11 संचालकों में से 04 संचालक अन्य परिवार के हैं, यथा संचालक श्री सुरेश, पत्नि श्रीमति अवंतीबाई, पुत्र श्री अजय एवं पुत्र श्री लोकेश संचालक हैं इस प्रकार निर्वाचित 11 संचालकों में से सभी संचालक मात्र दो परिवारों के हैं। संस्था अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तर में स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि उनकी पुत्री कु. किर्ती बाथम पठन पाठन के उद्देश्य से इंदौर में रहती हैं, उनके आधार कार्ड में पता 172, मारुति नगर सांवेर रोड इंदौर अंकित है, इस प्रकार संस्था की एक संचालक न तो कार्यक्षेत्र की निवासी है ओर न ही मत्स्याखेट का कार्य करती है। म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 6 के अनुसार संस्था में 20 विभिन्न परिवारों के सदस्य होना आवश्यक है, जिसका उल्लंघन होना पाया गया क्योंकि उपरोक्त दो परिवारों के शेष 9 सदस्य उपविधियों के अनुसार सदस्यता हेतु अपात्रता धारित करते हैं जिन्हे निष्कासित किये जाने पर संस्था में 15 सदस्य ही शेष रहेंगे। म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2)(B) में प्रावधान है कि " जहाँ रजिस्ट्रार की राय में वह सोसायटी मुख्यतः किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणतः तदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करती रही हों" तो उसे परिसमापन में लाया जा सकता है, इस संस्था में उपरोक्त वर्णित अनुसार मात्र दो परिवारों का कब्जा है। म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2)(C) के अनुसार "जहाँ उस सोसायटी में इस अधिनियम नियमों या उपविधियों के अधीन की किन्हीं ऐसी शर्तों का, जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बंद कर दिया हो" तो सोसायटी को परिसमापन में लाया जा सकता है, इस संस्था ने उपरोक्त वर्णित धारा 6 एवं संस्था की उपविधियों में सदस्यता हेतु नियत शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया है। अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं मनोज कुमार गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2)(क/ग)एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26.07.1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्यादित टंकारिया पंथ (पंजीयन क्रमांक 137 दिनांक 05.03.1962) को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर.एल.गरमार सहकारी निरीक्षक को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तौन माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2023 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

मनोज कुमार गुप्ता, उप पंजीयक.

(G-171)

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2023—माघ 14, शक 1944

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)